अनुदान संख्या 42 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 42 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	90145,25,00	90145,37,00	66575,55,62	-23569,81,38
पूरक	Supplementary	12,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22492,24,36
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2890,20,00	2945,23,00	2799,22,97	-146,00,03
पूरक	Supplementary	55,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	150000.00	263609.00	261722.82	-1886.18
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	113608.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	3326065.00			
पू.	S.	2.00	2890663.92	2821607.38	-69056.54
पु.	R.	-435403.08			
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare				
मू.	O.	396218.00			
पू.	S.	2.00	291862.43	286128.75	-5733.68
पु.	R.	-104357.57			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	656676 .00			
पू.	S.	2.00	3.21	..	-3.21
पु.	R.	-656674.79			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4430750 .00			
पू.	S.	2.00	3256781.78	3225379.74	-31402.04
पु.	R.	-1173970.22			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	34419.00			
पू.	S.	2.00	41594.43	42951.68	+1357.25
पु.	R.	7173.43			

(I) ₹2204129.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सड़सठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2200980.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹2204129.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilised under sixty seven heads; of these ₹2200980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(A) Major Head "2210" -

(क) "सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता" – ₹800.00 लाख – अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(a) "General - International Cooperation - Membership for International Organisation" - ₹800.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from International Agency for Research on Cancer.

(ख) "लोक स्वास्थ्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण" –

(b) "Public Health - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts" -

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹11200.00 लाख;

(i) "Fund for transfer to National Investment Fund" - ₹11200.00 lakhs;

(ii) "राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "Support from National Investment Fund (NIF)" - ₹1000.00 lakhs;

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" – "आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण"

(B) Major Head "2211" - "Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts" -

(क) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹15230.00 लाख; और

(a) "Funds for transfer to National Investment Fund (NIF)" - ₹15230.00 lakhs; and

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹5303.00 लाख;

(b) "Funds for transfer to National Investment Fund (NIF) (NHM)" - ₹5303.00 lakhs;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552"

(C) Major Head "2552" -

(क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Family Welfare - Direction and Administration" -

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यलय" – ₹697.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹22721.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – जनन और बाल स्वास्थय कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹114410.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित";

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹3250.00 लाख;

(iii) "आशा लाभ पैकेज" – ₹3167 लाख;

(ग) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालय तथा अस्पताल खोला जाना" – ₹2500.00 लाख;

(घ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, एलोपैथी"–

(i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" – ₹35001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹45000.00 लाख;

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹6000.00 लाख;

(i) "Regional Health Offices" - ₹697.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹22721.00 lakhs;

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health Programme" -

(i) "NRHM - RCH Flexible Pool" - ₹114410.00 lakhs; (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹3250.00 lakhs;

(iii) "ASHA Benefit Packages" - ₹3167 lakhs;

(c) "Urban Health Services - Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries and Hospitals" - ₹2500.00 lakhs;

(d) "Medical Education, Training and Research Allopathy" -

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" - ₹35001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹45000.00 lakhs;

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹6000.00 lakhs;

(iv) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, आइजॉल" – ₹3518.00;

(v) "स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मानव संसाधन" – ₹7480.00 लाख;

(ङ) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹24830.00 लाख;

(ii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹15564.00 लाख;

(iii) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹4208.00 लाख;

(iv) "राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1257.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹6771.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹1660.00 लाख;

(iii) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹28698.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹1470.00 लाख;

(v) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹2966.00 लाख;

(iv) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹3518.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹7480.00 lakhs;

(e) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National AIDS & STD Control Programme" - ₹24830.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹15564.00 lakhs;

(iii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹4208.00 lakhs;

(iv) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - ₹1257.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹6771.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹1660.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹28698.00 lakhs;

(iv) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹1470.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹2966.00 lakhs;

(vi) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹896.00 लाख;

(vii) "राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹597.00 लाख;

(viii) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹3300.00 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹12170.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹860.00 लाख;

(iii) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹47385.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹608.00 लाख;

(v) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹5639.00 लाख;

(vi) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1793.00 लाख; और

(vii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) – आरएसएसवाई" – ₹936.00 लाख।

(viii) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹6600.00 लाख; और

(vi) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹896.00 lakhs;

(vii) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - ₹597.00 lakhs;

(viii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹3300.00 lakhs;

(g) "Tribal Area Sub - Plan" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹12170.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹860.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹47385.00 lakhs;

(iv) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹608.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹5639.00 lakhs;

(vi) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹1793.00 lakhs;

(vii) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY" - ₹936.00 lakhs;

(viii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹6600.00 lakhs;

(च) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि"; ₹186666.00 लाख; और

(छ) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(i) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹54099.00 लाख।

उपर्युक्त तैंतीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "क्षमता निर्माण के लिए अभिघात केन्द्रों को सहायता" – ₹670.00 लाख; और

(iii) "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹840.00 लाख;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना" – ₹3865.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना" – ₹1647.00 लाख; और

(h) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for Transfer to National Investment Fund (NHM)" - ₹186666.00 lakhs; and

(i) "Public Health - Other Expenditure" -

(i) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹54099.00 lakhs.

Provisions under the above thirty three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - ₹670.00 lakhs; and

(iii) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - ₹840.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - Prime Minister's Development Plan for Jammu & Kashmir" - ₹3865.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Prime Minister's Development Plan for Jammu & Kashmir" - ₹1647.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना" – ₹824.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वरूप में बदलाव जिसमें इसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया, के कारण निधियों को अलग–अलग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹1492824.00 लाख; और

(ड़ा) "मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹14060.00 लाख;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः –

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(क) "चिकित्सा भंडार डिपो" –

(i) "डिपो" – ₹1020.61 लाख की बचत (₹6430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने और कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण आपूर्तियों और बिलों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) "भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद" – ₹2682.16 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Prime Minister's Development Plan for Jammu & Kashmir" - ₹824.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to diversion of funds owing to change in the status of State of J&K from State to UT of J&K and UT of Laddakh.

(d) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM)" - ₹1492824.00 lakhs; and

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM)" - ₹14060.00 lakhs;

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Medical Stores Depot" -

(i) "Depots" - saving of ₹1020.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6430.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, less utilisation of funds by CPWD and non-receipt of supplies & bills owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "Purchase of Materials in India and Abroad" - saving of ₹2682.16 lakhs (against the sanctioned provision of

तुलना में) अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठक योजना – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹15100.00 लाख की बचत (₹24200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹5900.00 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस योजना के अंतर्गत कम उपयोग होने/कम दावों का परिदृश्य होने के कारण वित्तीय सहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) "एलोपैथी" –

(i) "कैंसर अनुसंधान" – ₹1024.23 लाख की बचत (₹15350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹20446.00 लाख की बचत (₹359965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर की निधियों को उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी ऋण में अंतरित किए जाने के कारण हुई।

₹31000.00 lakhs) was due to delay in clearance of proposals for procurement.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹15100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24200.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹5900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals for financial assistance owing to less utilisation/lesser claims scenario under the scheme.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Allopathy" -

(i) "Cancer Research" - saving of ₹1024.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15350.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and non- submission of utilisation certificates by implementing agencies.

(ii) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - saving of ₹20446.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹359965.00 lakhs) was due to shifting of funds of National Cancer Institute Jhajjar to Higher Education Funding Agency loan.

(iii) "अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर" – ₹7427.00 लाख की बचत (₹13747.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्कृष्टता केन्द्र भवन के निर्माण के लिए परिकल्पित कार्यकलापों तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(iv) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी" – ₹16746.00 लाख की बचत (₹110000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की गति धीमी होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(v) "डॉ. आरएमएल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹1054.50 लाख की बचत (₹8307.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा निविदाकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब की वजह से आपूर्तियों की अधिप्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अंतरण" –

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹334328.00 लाख की बचत (₹338628.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹2165.22 लाख की बचत (₹286070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(iii) "Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore" - saving of ₹7427.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13747.00 lakhs) was due to non-materialisation of envisaged activities for construction of building for centre of excellence and procurement of equipments.

(iv) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER) Puducherry" - saving of ₹16746.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110000.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure and availability of unspent balances of previous year.

(v) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" - saving of ₹1054.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8307.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-procurement of supplies owing to delay in finalisation of tendering process.

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts" -

(i) "Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - saving of ₹334328.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹338628.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Support from Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹2165.22 lakhs (against the

तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और गैर–कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय स्वीकृति जारी न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "लोक स्वास्थ्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹1184.77 लाख की बचत (₹5042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹71924.43 लाख की बचत (₹300180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपूर्तिकर्ताओं की ओर से कम दावे प्राप्त होने तथा मांग में कमी होने के कारण औषधियों और आपूर्तियों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोगों और अघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹687.74 लाख की बचत (₹1451.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹1198.95 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" – ₹3208.11 लाख की बचत

sanctioned provision of ₹286070.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-issue of expenditure sanction under the non-functional head.

(C) "Public Health" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹1184.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5042.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts.

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - saving of ₹71924.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300180.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the suppliers and non-procurement of drugs & supplies owing to decrease in demand.

(b) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - saving of ₹687.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1451.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(ii) "National Mental Health Programme" - saving of ₹1198.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00 lakhs);

(iii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹3208.11

(₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) "राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹1018.11 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) "अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता" – ₹1615.96 लाख की बचत (₹1830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्तपोषण पद्धति में परिवर्तन करके इसे प्रतिपूर्ति मोड में किए जाने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से हुई।

(vi) "संचारी रोगों के लिए लचीलापूल" – ₹1266.81 लाख की बचत (₹1876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव न होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vii) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीलापूल" – ₹1053.66 लाख की बचत (₹1642.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय सहायता के लिए अनुदाग्राही निकायों से पर्याप्त संख्या में वित्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(viii) "टेलीमेडीसिन" – ₹2186.18 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड– 19 फैल जाने के कारण प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ix) "एनसीडीसी शाखाओं तथा स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – जूनोटिक

lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs);

(iv) "National Programme for Control of Blindness" - saving of ₹1018.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(v) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - saving of ₹1615.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1830.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-receipt/less receipt of proposals from implementing agencies owing to change in funding pattern to re-imbursement mode.

(vi) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - saving of ₹1266.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1876.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals and non-receipt of claims from Union Territories.

(vii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - saving of ₹1053.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1642.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals for financial assistance from grantee bodies.

(viii) "Telemedicine" - saving of ₹2186.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-approval of proposals owing to outbreak of COVID-19.

(ix) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health

बीमारियों तथा अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की तैयारी तथा नियंत्रण के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हैपाटाइटिस, एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोधकता की निगरानी" – ₹784.50 लाख की बचत (₹2741.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीएवीपी के जरिए कम मीडिया प्रचार किए जाने तथा जनशक्ति और अन्य सेवाओं की कम आउटसोर्सिंग किए जाने के कारण हुई।

(ग) "खाने के समानों में मिलावट की रोकथाम – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" – ₹5878.00 लाख की बचत (₹36000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(घ) "औषध नियंत्रण" –

(i) "केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹2181.15 लाख की बचत (₹12610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, नवीनीकरण और मरम्मत कार्यकलापों के कम होने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के लिए हुई।

(ii) "भारतीय भेषज संहिता आयोग" – ₹780.51 लाख की बचत (₹3210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र न होने के कारण हुई।

(ङ) "सेरा/वैक्सीन का निर्माण" –

(i) "बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुईंडी, चेन्नई" – ₹517.29 लाख की बचत (₹2133.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for Preparation and Control of Zoonotic diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹784.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2741.00 lakhs) was due to less media compaigns through DAVP and less outsourcing of manpower and other services.

(c) "Prevention of Food Adulteration - Food Safety and Standards Authority of India" - saving of ₹5878.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to non-completion of recruitment process.

(d) "Drug Control" -

(i) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹2181.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12610.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less renovation and repair activities and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(ii) "Indian Pharmacopoeia Commission" - saving of ₹780.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3210.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine" -

(i) "B.C.G.Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹517.29 lakhs (against the sanctioned provision of

रिक्त पदों को न भरे जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ii) "भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर को अनुदान" – ₹3350.00 लाख की बचत (₹6560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(च) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं – केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" –₹1741.02 लाख की बचत (₹6018.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भर्ती प्रक्रिया के पूरा न होने की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(छ) "अन्य व्यय" –

(i) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹13378.99 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दुर्लभ रोगों संबंधी संशोधित राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त रोगियों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अपात्र प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहलें" – ₹2837.97 लाख की बचत (₹4045.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा कम मीडिया प्रचार किए जाने के कारण हुई।

(iii) "अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)" – ₹662.06 लाख की बचत (₹2466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा विभिन्न

₹2133.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹3350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6560.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(f) "Public Health Laboratories - Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹1741.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6018.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to non-completion of recruitment process.

(g) "Other Expenditure" -

(i) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹13378.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to delay in finalization of revised National Policy on Rare Diseases, non-receipt of proposals for financial assistance from patients suffering from Rare Diseases and receipt of ineligible proposals.

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹2837.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4045.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals and less media compaigns.

(iii) "Other Health Schemes (Pilot)" - saving of ₹662.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2466.00 lakhs) was due to non-receipt of

प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iv) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास" – ₹2362.24 लाख की बचत (₹6415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा कॉलेजों के द्वारा स्किल सेंटरों में कोर्स को–ओर्डिनेटर की नियुक्ति न किए जाने तथा अनुदानग्राही संस्थाओं में अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(v) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹234986.00 लाख की बचत (₹539686.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति की वजह से प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(घा) "सामान्य–स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन – स्वास्थ्य सूचना तथा मॉनिटरी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹2053.64 लाख की बचत (₹2385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से व्यावसायिक शुल्क के लिए दावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजित न किए जाने की वजह से हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹63560.27 लाख की बचत (₹258459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोलियो वैक्सीनों के परीक्षण में विफल होने के कारण आपूर्तिकर्ताओं

adequate proposals from the States and requirement of less funds towards various pilot projects.

(iv) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹2362.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6415.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-appointment of course co-ordinator in skill centres by Medical Colleges and non-availability of required infrastructure in grantee Institutions.

(v) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹234986.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹539686.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposals owing to slow pace of expenditure.

(D) "General - Health Statistics and Evaluation - Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - saving of ₹2053.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2385.00 lakhs) was due to non-finalisation of claims towards professional fees owing to administrative reasons and non-conducting of Training Programmes.

(III) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "NRHM - RCH Flexible Pool" - saving of ₹63560.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹258459.00 lakhs) was due to cancellation of orders by the suppliers and

द्वारा ऑर्डर रद्द किए जाने तथा आपूर्तियों के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

rescheduling of supplies owing to failure of Polio vaccines in test.

(ख) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹503.19 लाख की बचत (₹656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Infrastructure Maintenance" - saving of ₹503.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹656.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(ग) "अवसंरचना अनुरक्षण – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र" – ₹1100.55 लाख की बचत (₹3092.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(c) "Infrastructure Maintenance - UTs without legislature" - saving of ₹1100.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3092.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Union Territories without legislature.

(खा) "प्रशिक्षण" –

(B) "Training" -

(क) "अंतरर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" – ₹3618.00 लाख की बचत (₹8405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(a) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹3618.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8405.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़" – ₹739.76 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 के कारण वार्षिक दिवस/खेल दिवस के स्थगन होने तथा दावों की प्राप्ति न होने/उन्हें अंतिम रूप न दिए जाने में बिलंब के कारण हुई।

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹739.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts, postponement of Annual Day/Sports Day owing to COVID-19 and non-receipt/non-finalisation of claims.

(गा) "जन शिक्षा – स्वास्थ्य नागरिक अभियान" – ₹18723.41 लाख की बचत (₹31944.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(C) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" - saving of ₹18723.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31944.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure and less utilisation of funds by the media units of Ministry of Information and Broadcasting.

(घा) "प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – एनआरएचएम–आरसीएच लचीला पूल" – ₹658.66 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक

(D) "Reproductive & Child Health Programme - NRHM-RCH Flexible Pool" - saving of ₹658.66 lakhs (against the total sanctioned provision of

पूरक अनुदान सहित ₹5592.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ड़ा) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां – गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹5756.98 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपूर्तिकर्ता द्वारा बिलों की आंशिक प्रस्तुति किए जाने तथा कम मांग की वजह से कम आपूर्तियों और सामग्री की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजिक स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा"–

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) – आरएसएसवाई" – ₹5997.56 लाख की बचत (₹9803.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹66029.78 लाख की बचत (₹332922.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम / स्कीमें" – ₹10794.00 लाख की बचत (₹20563.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त–पोषण पद्धति के प्रतिपूर्ति मोड में बदले जाने की वजह से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹25360.18 लाख की बचत (₹80652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और संचारी

₹5592.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to receipt of less proposals from Union Territories without legislature.

(E) "Other Services & Supplies - Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹5756.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to part submission of bills by supplier and requirement of less supplies & materials owing to less demands.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹5997.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9803.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹66029.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹332922.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹10794.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20563.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals owing to change in funding pattern to re-imbursement mode.

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission" - saving of ₹25360.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80652.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by

रोगों के लिए लचीले पूल कार्यक्रम के अंतर्गत लागत समायोजन बिल प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) – आरएसएसवाई" – ₹1846.77 लाख की बचत (₹2801.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹6656.00 लाख की बचत (₹52268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹3249.00 लाख की बचत (₹6169.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "जनजातीय उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) – आरएसएसवाई" – ₹534.65 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹4762.00 लाख की बचत (₹29810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ग) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹2227.00 लाख की बचत (₹3777.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त–पोषण पद्धति में परिवर्तन करके प्रतिपूर्ति मोड में किए जाने की वजह से राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

the Ministry of Finance and delay in receipt of cost adjustment bills under flexible pool for communicable diseases programmes.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹1846.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2801.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹6656.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52268.00 lakhs);

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹3249.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6169.00 lakhs);

(D) "Tribal Area Sub- Plan" -

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹534.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs); and

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹4762.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29810.00 lakhs);

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals.

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹2227.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3777.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from States owing to change in funding pattern to re-imbursement mode.

(V) उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1689.62 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत से अधिक तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाए जाने के लिए आंशिक रूप से (₹838521.83 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹10.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार – केन्द्र सरकार पेंशनभोगी" – ₹113608.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹111721.82 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210"

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय – डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹6207.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5554.74 लाख था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" –

(i) "एलोपैथी" –

(1) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमति एस.के. अस्पताल" – ₹1834.06 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹626.84 लाख था।

(2) "चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" – ₹26000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹17250.00 लाख था।

(V) Under five heads savings of ₹1689.62 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to more than 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹838521.83 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹10.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil- Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - ₹113608.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹111721.82 lakhs.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - ₹6207.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5554.74 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research" -

(i) "Allopathy" -

(1) "Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital" - ₹1834.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹626.84 lakhs.

(2) "Grants to Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - ₹26000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17250.00 lakhs.

(3) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान, शिलांग को अनुदान" – ₹36200.00 लाख।

(4) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹69819.96 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹69195.32 लाख था।

(5) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹45966.00 लाख।

(6) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹5500.00 लाख।

(7) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं परिचर्या विज्ञान संस्थान, आइजोल" – ₹4048.00 लाख।

(8) "लाला राम सरूप टी.बी. तथा संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली" – ₹615.00 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – इमपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट) स्कीम" – ₹442.25 लाख।

(ग) "लोक स्वास्थ्य" –

(i) "प्रशिक्षण – परिचर्या सेवाओं का विकास" – ₹3550.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2477.68 लाख था।

(ii) "रोगों का निवारण तथा नियंत्रण – राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹60027.99 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹56627.40 लाख था।

(3) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" - ₹36200.00 lakhs.

(4) "Pradhan Mantri Swastha Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹69819.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹69195.32 lakhs.

(5) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹45966.00 lakhs.

(6) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institue of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹5500.00 lakhs.

(7) "Regional Inst. of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹4048.00 lakhs;

(8) "Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" - ₹615.00 lakhs;

(ii) "Other Expenditure - Impacting Research Innovation and Technology (Imprint) Scheme" - ₹442.25 lakhs.

(c) "Public Health" -

(i) "Training - Development of Nursing Services" - ₹3550.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2477.68 lakhs.

(ii) "Prevention and Control of Diseases - National AIDS & STD Control Programme" - ₹60027.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹56627.40 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “2211” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके)” – ₹2300.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, ₹2299.40 लाख था।

(ख) “अनुसंधान तथा मूल्यांकन” –

(i) “जनसांख्यिकीय तथा अन्य संचार अनुसंधान” – ₹416.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, ₹409.85 लाख था।

(ii) “स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन” – ₹3515.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, ₹1744.79 लाख था।

(ग) “प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – डब्ल्यूएचओ सहायता–प्राप्त राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एनपीएस)” – ₹2045.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, ₹1400.00 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “केन्द्रीय सहायता / हिस्सा” –

(i) “राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन” – ₹239863.17 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹219152.23 लाख था।

(ii) “परिवार कल्याण – अवसरंचना अनुरक्षण” – ₹46893.45 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, ₹46892.92 लाख था।

(iii) “राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन” – ₹4058.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3266.00 लाख था।

(C) Major Head “2211” -

(a) “Direction and Administration - Janasankhya Sthirta Kosh (JSK)” - ₹2300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2299.40 lakhs.

(b) “Research and Evaluation” -

(i) “Demographic and other Communication Research” - ₹416.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹409.85 lakhs.

(ii) “Health Surveys and Research Studies” - ₹3515.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1744.79 lakhs.

(c) “Reproductive & Child Health Programme - WHO Supported National Polio Surveillance Project (NPS)” - ₹2045.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1400.00 lakhs.

(D) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/ Share” -

(i) “National Rural Health Mission” - ₹239863.17 lakhs. Actual excess, however, was ₹219152.23 lakhs.

(ii) “Family Welfare - Infrastructure Maintenance” - ₹46893.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹46892.92 lakhs.

(iii) “National Urban Health Mission” - ₹4058.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3266.00 lakhs.

(ख) "बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाएं–केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹32400.00 लाख।

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹32400.00 lakhs.

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹30186.14 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹27787.67 लाख था।

(i) "National Rural Health Mission" - ₹30186.14 lakhs. Actual excess, however, was ₹27787.67 lakhs.

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹13273.85 लाख।

(ii) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - ₹13273.85 lakhs.

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹53158.83 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹51409.46 लाख था।

(i) "National Rural Health Mission" - ₹53158.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹51409.46 lakhs.

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹18318.70 लाख।

(ii) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - ₹18318.70 lakhs.

(iii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹608.00 लाख।

(iii) "National Urban Health Mission" - ₹608.00 lakhs.

(ड़) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें"–

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹15623.43 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹16123.25 लाख था।

(a) "Central Assistance/Share - National Rural Health Mission" - ₹15623.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹16123.25 lakhs.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹2044.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2121.03 लाख था।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Health Mission" - ₹2044.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2121.03 lakhs.

2.(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

2.(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(i) "केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना– औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹5901.96 लाख का अधिक व्यय (₹127500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने और पीएंडटी औषधालयों को अपने अधिकार में लेने तथा बहुत–सी सीजीएचएस यूनिटों के नवीकरण, मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹15708.44 लाख का अधिक व्यय (₹107150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नर्सिंग आफिसरों तथा अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने तथा उपभोग्यों, दवाईयों तथा कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम संबंधी लंबित देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय – स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रत्युत्तर" – ₹10423.01 लाख का अधिक व्यय (₹2163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/ Hospitals" - excess of ₹5901.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹127500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards filling up of vacant posts and taking over of P&T Dispensaries and renovation, repair and maintenance of a number of CGHS units.

(ii) "Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - excess of ₹15708.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107150.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts of Nursing Officers and other staff and requirement of additional funds towards pending liabilities on consumables, medicines and containment of outbreak of Corona virus.

(b) "Public Health - Other Expenditure - Health Sector Disaster Preparedness and Response" - excess of ₹10423.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2163.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards containment of outbreak of pandemic COVID-19.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "आशा लाभ पैकेज" – ₹3163.00 लाख का अधिक व्यय (₹51421.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा प्रावधानों को राष्ट्रीय निवेश निधि से सकल बजटीय सहायता में अंतरित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ; और

(ii) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1232.55 लाख का अधिक व्यय (₹11310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹596.85 लाख का अधिक व्यय (₹2410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1504.00 लाख का अधिक व्यय (₹22235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति में परिवर्तन करके इसे राज्य से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बदले जाने के कारण निधियों के परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Central Assistance/share" -

(i) "ASHA Benefit Package" - excess of ₹3163.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51421.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim and requirement of additional funds towards shifting of provisions of National Investment Fund to Gross Budgetary Support.

(ii) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - excess of ₹1232.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11310.00 lakhs); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - excess of ₹596.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2410.00 lakhs).

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Urban Health Mission" - excess of ₹1504.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22235.00 lakhs) was due to diversion of funds owing to change in the status of State of J&K from State to Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Laddakh.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" – "आशा लाभ पैकेज" – ₹1342.00 लाख का अधिक व्यय (₹6172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कोविड–19 वैश्विक महामारी फैलने के कारण मांग में वृद्धि होने की वजह से हुआ।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - ASHA Benefit Packages" - excess of ₹1342.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6172.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim and increased demand owing to spread of pandemic COVID-19.

(गा) "मुख्य शीर्ष "3602" – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹3808.23 लाख का अधिक व्यय (₹628.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन करके इसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बदले जाने की वजह से निधियों में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3602" - Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - excess of ₹3808.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹628.00 lakhs) was due to diversion of funds owing to change in the status of J&K from State into UT of J&K and UT of Laddakh.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1317.20 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 303 प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of ₹1317.20 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent to 303 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹14600.03 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹5503.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹14600.03 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹5503.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	276320.00			
पू.	S.	5501.00	285881.00	277254.37	-8626.63
पु.	R.	4060.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1675.00			
पू.	S.	1.00	2376.00	1774.63	-601.37
पु.	R.	700.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
			5000.00	..	-5000.00
पु.	R.	-5000.00			

(I) ₹11377.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹10000.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए : –

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एलोपैथी – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹5000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹11377.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹10000.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "Medical Education, Training and Research Allopathy - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5000.00 lakhs - due to reappropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹5000.00 लाख – गैर – कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय स्वीकृति जारी न किए जाने के कारण।

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Support From Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - ₹5000.00 lakhs - due to non-issue of expenditure sanction under the non-functional head.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads: -

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹3505.39 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Urban Health Services - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹3505.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी" –

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(क) "डॉ आर.एम.एल. पी.जी चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान" – ₹5078.46 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research" - saving of ₹5078.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to slow progress in construction work.

(ख) "राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली" – ₹3037.67 लाख की बचत (₹3039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(b) "Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - saving of ₹3037.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3039.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(गा) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(C) "Public Health - Other Programmes" -

(क) "केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹3355.24 लाख की बचत (₹8290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की हैदराबाद, इंदौर तथा भुवनेश्वर में विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों की मंजूरी में विलंब के कारण प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹3355.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8290.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals owing to delay in approval of proposals for different projects of Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO) at Hyderabad, Indore, and Bhubaneswar.

(ख) "एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य पहलें – जूनोटिक बीमारियों तथा अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की तैयारी तथा नियंत्रण के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हैपाटाइटिस, एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोधकता की निगरानी" – ₹1813.35 लाख की बचत (₹2159.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बड़े कार्यों की मंजूरी में विलंब होने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1339.56 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाये जाने के लिए आंशिक रूप से (₹13300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹5502.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "4210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल तथा औषधालय – डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹4600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3831.59 लाख था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹5000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4351.55 लाख था।

(ग) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – विश्व स्वास्थ्य संगठन का पुनर्गठन – एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली" – ₹3000.00 लाख।

(b) "Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter Sectoral Co-ordination for preparation and Control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti Microbial Resistance" - saving of ₹1813.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2159.00 lakhs) was due to delay in approval for major works and less utilisation of funds by Central Public Works Department.

(III) Under four heads savings of ₹1339.56 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (₹13300.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5502.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" -

(a) "Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - ₹4600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3831.59 lakhs.

(b) "Medical Education, Training & Research - Allopathy - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4351.55 lakhs.

(c) "Public Health - Other Programmes - Reconstruction of WHO - SEARO Building, New Delhi" - ₹3000.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवसीय भवन – अन्य आवास – केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹646.74 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹4502.86 लाख का अधिक व्यय (₹108730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएमएसएसवाई स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - ₹700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹646.74 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Support from Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF)" - excess of ₹4502.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108730.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation in projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under PMSSY Schemes.